शुद्धता का संकल्प

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, उज्जैन 456010(म.प्र.)

स्टीम कोल परिवहन एवं क्रय सेवा हेतु ई-निविदा प्रपत्र

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, उज्जैन- 456010 (म.प्र.)

फोन नं. 0734-2527071

E-mail: udsplant@yahoo.com, engg_uds@sanchidairy.com

Website: www.sanchidairy.com/www.sanchiujjain.com

ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.1,000/- (रूपये एक हजार मात्र)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh
Phone No. 0734-2527071, E-mail: udsplant@yahoo.com, engg_uds@sanchidairy.com G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

क्रमांकः-उ.दु.सं./यांत्रिकी/नस्ती क्र.12/2024/ 601 उज्जैन,दिनांकः 08/02/24

ई-निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन के अधीन कार्यरत उज्जैन, रतलाम एवं मंदसौर दुग्ध संयंत्रों में डब्ल्यू.सी.एल. की विभिन्न खदानों से कोयला ई-ऑक्शन के माध्यम से उज्जैन दुग्ध संघ हेतु क्रय कर परिवहन करने हेतु ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य पर ऑनलाइन जमा कर मध्यप्रदेश ई-टेण्डर की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से क्रय की जा सकती है। ई-निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर www.sanchidairy.com/www.sanchiujjain.com अवलोकन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक 29.02.2024 समय दोपहर 1:00 बजे तक है। समस्त निविदा अथवा एक निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।

क्रमांक	विवरण	अमानत राशि (EMD)	निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य
01	डब्ल्यू.सी.एल के विभिन्न खदानों से कोयला ई-ऑक्शन के माध्यम से क्रय कर दुग्ध संयंत्र उज्जैन, रतलाम एवं मंदसौर तक के परिवहन का कार्य	रू. 1.00 लाख मात्र (केवल ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से)	राशि रू. 1,000 (एक हजार मात्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

सुखता का संकल्प

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone No. 0734-2527071, E-mail: udsplant@yahoo.com, engg_uds@sanchidairy.com G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

क्रमांकः उ.दु.सं./यांत्रिकी/नस्ती क्र.12/2024/ उज्जैन, दिनांकः

निविदा प्रपत्र

निविदा कार्य - म.प्र. एवं महाराष्ट्र की विभिन्न खदानों से उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के उज्जैन, रतलाम एवं मंदसौर संयंत्र तक कोयला परिवहन हेतु ई-निविदा।

1.	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 1,000/- (अक्षरी- रूपये एक हजार मात्र)
2.	ई-निविदा प्रपत्र जारी करने की दिनांक एवं समय।	दिनांकः 09.02.2024 प्रातः 11.00 बजे से (ई पोर्टल के माध्यम से)
3.	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांकः [illegible].02.2024 दोपहर 1.00 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
4.	ई-निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांकः 01.03.2024 दोपहर 3.00 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
5.	तकनीकी प्रपत्र खोलने की दिनांक एवं समय	दिनांकः 04.03.2024 दोपहर 3.00 बजे (ई पोर्टल के माध्यम से)
5.	वित्तीय प्रपत्र खोलने की दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा के परीक्षण पश्चात्
7.	ई-निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
8.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
9.	अमानत राशि	रूपये 1,00,000/- मात्र (रूपये एक लाख मात्र)
10.	संलग्न प्रपत्र	01- परिशिष्ट(अ), सामान्य नियम एवं शर्त 02- परिशिष्ट(ब)1 एवं 2, निविदाकर्ता की जानकारी (आवश्यक रूप से प्रत्येक निविदाकर्ता को भरना है।) 03- परिशिष्ट(स), दर प्रपत्र

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

परिशिष्ट-'अ'
सामान्य नियम एवं शर्तें

1) निविदा कार्य :

(अ) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य संयंत्र उज्जैन, दुग्ध संयंत्र रतलाम, एवं दुग्ध संयंत्र मंदसौर तक वेस्टर्न कोल फील्ड, की कोलरी से स्टीम कोल परिवहन का कार्य।

(ब) ई-ऑक्शनः- उज्जैन दुग्ध संघ की आवश्यकतानुसार डब्ल्यू.सी.एल(महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश की खदान) से कोयले आवंटन हेतु ई-ऑक्शन के द्वारा दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित ग्रेड हेतु दरें भरकर न्यूनतम दरों पर कोयला क्रय की कार्यवाही संपादित करना।

2) निविदा दरें : दुग्ध संयंत्रों हेतु दरें परिशिष्ट-'स' में ऑनलाइन भरनी है। निविदाकार दर प्रस्तुत करते समय समस्त व्यय लोडिंग/अनलोडिंग, जीएसटी सहित Inclusive of all charges) दरें प्रस्तुत करें।

3) निविदा द्वारा अनुबंधित दरें कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से तीन(3) वर्ष तक प्रभावशील रहेगी एवं कार्य संतोषप्रद होने की दशा में समान नियम/शर्त एवं दर पर आपसी सहमति अनुसार एक-एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो(2) वर्ष की वृद्धि की जा सकती हैं।

4) सशर्त निविदा दरें विचारणीय नहीं रहेगी। अतः निविदाकर्ता को उज्जैन दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुरूप दरें प्रस्तावित करना होगी।

5) अमानत राशि रू. 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) केवल ऑनलाइन भुगतान द्वारा ही मान्य की जावेगी।

6) बिना अमानत राशि की निविदाएँ अमान्य होंगी एवं निरस्त कर दी जावेगी। निविदा के प्रथम न्यूनतम दर निविदाकार की अमानत राशि को छोड़कर अन्य सभी निविदाकारों की अमानत ऑनलाइन पोर्टल में स्वतः वापस कर दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7) निविदाकर्ता न्यूनतम पाँच(5) वर्ष का कार्य अनुभव एवं वर्तमान में जारी प्रतिष्ठित फर्मों के तत्संबंधी कार्यों के अनुबंध के आशय का पत्र संलग्न करें तथा अंतिम तीन वित्तीय वर्ष (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) के आयकर रिटर्न अपलोड करने होंगे।

8) उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों का निविदाकर्ता द्वारा दृढ़ता के साथ पालन किया जावे, ये अतिआवश्यक होगा। यदि कोई अनुबंधकर्ता शर्तों का पालन करने में असफल/अनियमित पाया गया तो किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के

या बिना कारण दर्शाये अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा। अनुबंधकर्त्ता से उज्जैन दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि होने पर प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी।

9) ई-ऑक्शनः- उज्जैन दुग्ध संघ की आवश्यकतानुसार डब्ल्यू.सी.एल(महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश की खदान) से कोयले आवंटन हेतु ई-ऑक्शन के द्वारा दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित ग्रेड हेतु दरें भरकर न्यूनतम दरों पर कोयला क्रय की कार्यवाही करने की जवाबदारी अनुबंधकर्त्ता की होगी जिसका पृथक से कोई सर्विस चार्ज देय नहीं होगा साथ ही जिसका परिवहन करना एवं इसके डी.ओ. एवं देयकों का ब्यौरा एवं देयक प्राप्ति की व्यवस्था अनुबंधकर्त्ता को करनी होगी। एल.आर. के साथ कोलरी का गेटपास होना अनिवार्य है, इसके अभाव में कोयले की गाड़ी स्वीकार्य नहीं होगी। कम से कम दर पर उच्च गुणवत्ता के कोयला ई-ऑक्शन के द्वारा प्राप्त करना अनुबंधकर्त्ता का दायित्व रहेगा। सम्पूर्ण कार्यवाही ई-ऑक्शन से लेकर डी.ओ. तक कोयला कितने दिन में पूरा परिवहन किया जायेगा का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। विलम्ब से कोयला प्राप्त होने पर आर्थिक दण्ड दिया जावेगा।

10) निविदाकर्त्ता को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पेन नंबर का उल्लेख करते हुये आयकर विभाग से प्राप्त पेन नंबर, जी.एस.टी. विभाग से जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटस(निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर अपलोड करने होंगे जिसके बिना निविदा प्रपत्र अस्वीकार किया जावेगा।

11) परिवहन की दर वर्तमान डीजल की दरों के अनुसार होगी (दिनांक 01.02.2024 की दर)। डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर प्रति टन कोयले की मात्रा से परिवहन दरों में परिवर्तन किया जायेगा। डीजल मूल्य बढ़ने/घटने पर परिवहन दरें 4 कि.मी./लीटर की डीजल की खपत के आधार पर प्रति ट्रक 30 मैट्रिक टन औसत कोल मात्रा पर निर्धारित की जावेगी।

12) परिवहन की अवधि में कोयले की गुणवत्ता एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये। गुणवत्ता का निरीक्षण उज्जैन दुग्ध संघ की समिति या सक्षम प्रयोगशाला द्वारा किया जावेगा।

13) अनुबंधकर्त्ता को संपूर्ण कोयला खदान से आंवटित ग्रेड का प्रदाय करना होगा तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोयला उसी गुणवत्ता का प्रदाय हो। इसका परीक्षण वेस्टर्न कोल फील्डस की अधिकृत प्रयोगशाला अथवा सक्षम प्रयोगशाला में कराया जा सकता है, जिस अनुसार आंवटित कोल के निम्न स्तर का पाये जाने पर जुर्माना वसूल किया जावेगा जिसकी, अधिकतम राशि कुल कोयले के मूल्य के बराबर हो सकती है।

14) दुग्ध संयंत्र पहुंचने पर सर्वप्रथम कोयले का वजन करवाना आवश्यक है इसके उपरान्त कोयला दुग्ध संयंत्र कोल यार्ड में परिवहनकर्त्ता द्वारा खाली करवाना होगा अर्थात अनलोडिंग व्यय परिवहनकर्त्ता को वहन करना होगा। अगर किसी परिस्थिति में परिवहनकर्त्ता द्वारा अनलोडिंग कार्य नहीं करवाया जाता है तो संघ द्वारा खाली करवाने पर होने वाले व्यय का कटोत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा।

15) परिवहन की अवधि में कोयले की गुणवत्ता एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये। क्वालिटी का निरीक्षण उज्जैन दुग्ध संघ की समिति द्वारा किया जावेगा यदि गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है, तो गुणवत्ता परीक्षण उपरांत अनुपात में राशि काटी जा सकेगी तथा जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। निम्न गुणवत्ता का कोयला स्वीकार नहीं होगा। कोयले के वजन में कमी अधिक से अधिक 1% (एक प्रतिशत) छूट योग्य रहेगी (केवल खदानों के लिये मान्य) इससे अधिक कमी होने पर उसकी वसूली कोल इण्डिया लिमिटेड की दर के अनुसार परिवहन के भुगतान में से की जायेगी। यदि वजन डिलीवरी चालान में अंकित मात्रा से अधिक पाया गया तो उस दशा में मूलतः रवाना की गई मात्रा के आधार पर ही भुगतान स्वीकृत परिवहन की दरों के आधार पर ही देय होगा। ट्रांसशिपमेंट(पलटी) की स्थिति में अनुबंधकर्त्ता को उस स्थान का पूर्ण ब्यौरा देना होगा जिससे संघ के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

16) (अ) विभिन्न क्षेत्रों की खदानों से कोयला उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन, दुग्ध संयंत्र- रतलाम तथा दुग्ध संयंत्र- मंदसौर हेतु परिवहन किया जाना हैं। दुग्ध संयत्रों को विभिन्न क्षेत्रों की खदानों से समय पर कोयला प्रदाय न होने की दशा में उज्जैन दुग्ध संघ को बाहर से कोयला क्रय करने पर होने वाले अतिरिक्त भुगतान की राशि निविदाकर्त्ता से वसूल की जावेगी। साथ ही प्रबंध के निर्णय अनुसार आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

(ब) अनुमोदित निविदाकर्त्ता को संघ द्वारा स्वीकृत दरों की सूचना प्रेषित की जावेगी, उसके अनुरूप अनुबंध की राशि रू. 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) सुरक्षा निधि के रूप में सूचना प्रेषित करने की तिथि से एक सप्ताह की समयावधि में अनिवार्य रूप से आरटीजीएस के माध्यम से उज्जैन दुग्ध संघ में जमा करना होगी, जो कि अनुबंधित अवधि के पश्चात् सफलतापूर्वक अनुबंध की शर्तो का परिपालन करने की अवस्था में बिना ब्याज के वापसी योग्य रहेगी।

(स) परिवहनकर्त्ता को संबंधित क्षेत्र की खदानों के विक्रय विभाग के कार्यालयों में परमिट/आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसका रोड रिलीज आर्डर मय नगदी रसीद के साथ संघ के कार्यालय को 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

रोड रिलीज कोल परिवहन कार्य:-

17) (अ) वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के वर्तमान नियमों के अनुरूप कोयला प्राप्त कर उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन, दुग्ध संयंत्र रतलाम तथा दुग्ध संयंत्र मंदसौर के गंतव्य स्थान तक परिवहन करना अति आवश्यक रहेगा। खदान के गेटपास में अंकित वाहन द्वारा ही कोयला स्वीकार किया जावेगा। म.प्र. /महाराष्ट्र की खदानों से क्रय किये जाने वाले कोयले के गेटपास एल.आर. के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(ब) विशेष परिस्थितियों में परिवहन किये जाने वाले वाहनों के नंबरों में परिवर्तन होने की सूचना परिवहन के पूर्व उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में प्रेषित की जाना अनिवार्य होगी, जिसके अभाव में देयक पारित किया जाना संभव नहीं होगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी।

18) कोयले के परिवहन का भुगतान केवल निर्धारित शर्तों का परिपालन करने पर संबंधित अनुबंधकर्त्ता को न्यूनतम वजन का स्वीकृत दरों पर किया जाना संभव होगा। विवादास्पद वाहन का भुगतान शर्तों के अधीन निराकरण होने के पश्चात् ही देय होगा। प्राप्त कोयले का वजन खदान के प्रेषित विवरण के आधार पर ही देय होगा। प्राप्त कोयले का वजन खदान के गेटपास अथवा अन्य तौल रसीद में अंकित न्यूनतम वजन के आधार पर ही भुगतान योग्य होगा।

19) अनुबंधकर्त्ता को संपूर्ण आवंटित कोयला निर्धारित समयावधि में शीघ्रता से पहुँचाना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि, जमा राशि का माल पूर्ण रूप से खदानों पर से समय सीमा में उठाया जावें। यदि किन्हीं अनियंत्रित परिस्थितियों में कोयला उठाना शेष रहता है, तो सक्षम अधिकारी से बेलेंस सर्टिफिकेट प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचना देनी होगी।

20) अनुबंधकर्त्ता को प्रदाय किये गये रोड रिलीज ऑडर के कोल से संबंधित बेलेंस एवं रिफण्ड्स प्राप्त करने हेतु मध्यस्थता करनी होगी। बिल प्राप्त न होने की अवस्था में प्रतिभूति राशि लौटाने योग्य नहीं रहेगी। आंवटित कोयला किसी कारण न उठाने की दशा में, रिफण्ड में से कोई भी कटौत्रा उज्जैन दुग्ध संघ को मान्य नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी परिवहनकर्त्ता की होगी।

- **तौलने का कार्यः-**

21) संघ को प्रदाय किये जाने वाले ट्रक का वजन संयंत्र में उपलब्ध तौल-काँटे पर संघ के प्रतिनिधि एवं सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा, यदि किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों में तौल-काँटा खराब होगा, तो उस अवस्था में परिवहनकर्त्ता को निकट के सार्वजनिक तौल-काँटे पर वजन करवाना होगा तथा उसका व्यय भी स्वयं वहन करना होगा।

22) दुग्ध संयंत्र, उज्जैन, रतलाम तथा मंदसौर पहुँचते ही प्रबंधक को कार्यालय/निवास पर दूरभाष द्वारा ट्रक पहुँचाने की सूचना प्रेषित करनी होगी और तौल करवाने के लिये आंमत्रित करना होगा।

- **भुगतानः-**

23) कोयले के परिवहन का भुगतान अनुबंधकर्त्ता को संबंधित माह की दिनांक 01 से 15 तक एवं 15 से 30/31 तक प्राप्त बिलों का भुगतान संबंधित कोलरी से मूल देयक प्राप्त होने के उपरांत ही किया जा सकेगा। किन्ही भी परिस्थितियों में अग्रिम रूप से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

01- अनुबंधकर्त्ता को आवंटन अनुसार कोयला प्रदाय करने की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्त्ता की होगी।

02- ई-ऑक्शन हेतु ईएमडी एवं कोयले के मूल्य हेतु आरटीजीएस बनवाने संबंधी सूचना 07 दिवस पूर्व कार्यालयीन कार्य दिवस में प्राप्त होना अनिवार्य है।

03- रोड रिलीज ऑडर हेतु आरटीजीएस होने की दिनांक से 45 दिन के अंदर स्टीम कोल उज्जैन दुग्ध संघ को प्राप्त होना अनिवार्य है। खदानों से कोयला लिफ्टिंग कार्यक्रम की सूचना भी तत्काल प्रबंधक को देना होगी।

04- स्टीम कोल की गुणवत्ता, डी.ओ. में दर्शाये अनुसार चूरा, डस्ट पत्थर एवं स्लेज रहित कोयला उज्जैन दुग्ध संघ को प्राप्त होना चाहिए।

05- रिलिज ऑडर अनुसार समस्त मात्रा के कोयला प्रदाय करने की व्यवस्था परिवहनकर्त्ता द्वारा अपने स्तर से ही की जावेगी। संघ को नियमित रूप से कोयला प्रदाय न करने की अवस्था में अन्य स्त्रोत से क्रय करने की स्थिति में अंतर की राशि की वसूली परिवहनकर्त्ता से की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी कोल एजेन्ट/ परिवहनकर्त्ता की होगी।

06- संघ द्वारा वेस्टर्न कोल फील्ड को जो भुगतान किया जाता है, उसके समायोजन पश्चात् शेष राशि की वसूली एजेंट/परिवहनकर्त्ता द्वारा की जावेगी, अन्यथा उक्त राशि की वसूली परिवहनकर्त्ता के देयकों से की जावेगी।

07- आवंटित डी.ओ. के देयक तथा अन्य दस्तावेज उज्जैन दुग्ध संघ को आवंटित कोयले परिवहन के एक सप्ताह में उपलब्ध कराना होगी। तदुपरांत ही

परिवहन भुगतान किया जायेगा। वैधानिक नियमानुसार टेक्स आदि का कटोत्रा संघ द्वारा किया जावेगा। संपूर्ण बिल प्राप्त होने पर अंतिम समायोजन के पश्चात् संबंधित धरोहर राशि वापसी योग्य रहेगी।

08- आर्बिट्रेशन :-

- सफल निविदाकार एवं दुग्ध संघ के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।

- निराकरण न होने की स्थिति में आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जासकेगी।

09- अनुमोदित परिवहनकर्त्ता को राशि रू. 1,000.00(रू. एक हजार मात्र) के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर उज्जैन दुग्ध संघ के साथ नोटराइज्ड अनुबंध अनिवार्य रूप से संपादित करना होगा। जिसके अभाव में परिवहनकर्त्ता को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

10 सभी शर्तों के लिये प्रस्तावित दरें संलग्न प्रारूप में ई पोर्टल के माध्यम से एम. पी. टेण्डर्स की वेबसाईट पर समय सीमा में अपलोड किया जाये। पूर्ण निविदा ई-पोर्टल के माध्यम से भरी हुई ही स्वीकार की जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh
Phone No. 0734-2527071, E-mail: udsplant@yahoo.com, engg_uds@sanchidairy.com G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB
क्रमांकःउ.दु.सं./यांत्रिकी/भर्ती क्र.12/2024/ उज्जैन,दिनांकः

परिशिष्ट-(ब)
(ऑफर के साथ संलग्न करने हेतु)
फार्म-ब(1)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
महोदय,

मैं/हम हमारी कंपनी के बारे में जानकारी दे रहे है, जो कि पूर्णतः सत्य है।

01- फर्म का नाम ....
02- फर्म का पता ....
03- दूरभाष नंबर,, मोबाईल नंबर ....
ई-मेल आय.डी. ....
04- कंपनी के मालिक/साझेदारों के नाम ....
05- फर्म का अधिकृत पंजीयन
प्रमाण पत्र (क्रमांक एवं दिनांक सहित) ....
06- क्या आपको या आपकी किसी कंपनी हाँ/नहीं
को उ.स.दु.सं. द्वारा या अन्य दुग्ध संघ की
ओर से अथवा भारत सरकार या म.प्र. शासन
द्वारा ब्लेक लिस्ट ठहराया गया है।
अगर हाँ तो कब और क्यों कारण का उल्लेख करें।
07- पेन नंबर (छायाप्रति संलग्न करे) ....
08- जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक(छायाप्रति संलग्न करे)..
09- आधार कार्ड की छायप्रति(प्रोपाइटर की)
10- अंतिम तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिर्टन ....
(2020-21, 2021-22, 2022-23)

कंपनी के अधिकृत अधिकारी
हस्ताक्षर एवं सील

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh
Phone No. 0734-2527071, E-mail: udsplant@yahoo.com, engg_uds@sanchidairy.com G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

क्रमांक:उ.दु.सं./यांत्रिकी/नस्ती क्र.12/2024/ उज्जैन,दिनांक:

(ऑफर के साथ संलग्न करने हेतु)

फार्म-ब(2)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

महोदय,

मैं/हम नीचे हमारी कंपनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि, हमारे द्वारा टेंडर से संबंधित दिये जाने वाले प्रस्ताव का एक हिस्सा हैं।

टेंडर नोटिफिकेशन नं. .... दिनांक ....

01- हमारी फर्म द्वारा प्रदाय/परिवहन की जाने वाली वस्तुओं की जानकारी ....
....

02- पिछले 5 वर्षो में आपके द्वारा प्रदाय/परिवहन अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि/रोक लगी है, तो उसका ब्यौरा देवें। ....
....
....

03- मौजूदा समय में आपके ग्राहक/क्लांइटस के नाम (मय प्रमाणों के साथ विगत 5 वर्षो क)
1.................................
2.................................
3.................................
4.................................
5.................................

04- क्या आपकी फर्म द्वारा किसी को-ऑपरेटिव संस्था या डेयरी को कोयला प्रदाय किया गया हैं। अगर हाँ तो विवरण देवें।

मैं/हमारे द्वारा टेंडर को अच्छी तरह से पढ कर दी हुई उपरोक्त जानकारी एक दम सही हैं।

कंपनी के अधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं सील

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh
Phone No. 0734-2527071, E-mail: udsplant@yahoo.com, engg_uds@sanchidairy.com G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

क्रमांक:उ.दु.सं./यांत्रिकी/नस्ती क्र.12/2024/ उज्जैन,दिनांक:

परिशिष्ट - (ख)
निविदा (दर-प्रपत्र)

निविदाकार का नाम :-...

क्रमांक	कहाँ से	कहाँ तक	दर (प्रति मेट्रिक टन) (लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय सहित)	
			अंकों में	शब्दों में
01	डब्ल्यू.सी.एल. की खदान (मध्यप्रदेश राज्य की)	उज्जैन सह दुग्ध संघ उज्जैन/मंदसौर/रतलाम		
02	डब्ल्यू.सी.एल. की खदान (महाराष्ट्र राज्य की)	उज्जैन सह दुग्ध संघ उज्जैन/मंदसौर/रतलाम		

(उपरोक्त दरों में समस्त व्यय एवं लोडिंग-अनलोडिंग तथा एफ.ओ.आर दुग्ध संयंत्र रहेगा।)
दिनांक:

हस्ताक्षर ....
निविदाकार ....

नाम...................................
ईमेल ....
मोबाईल नं. ....